Lecture 14:

Prof Nirmal Kr Singh
Associate Professor
Deptt of LSW
S.N.S.R.K.S College, Saharsa
Email: nirmalsingh245@gmail.com

Caste System:

जाति का अर्थ एवं परिभाषा-

जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के 'कास्ट' Caste) का हिन्दी रूपान्तरण है। अंग्रेजी के 'Caste' शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के शब्द "Casta (कास्टा) से हुई है, जिसका तात्पर्य प्रजाति, नस्ल या भेद है। यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द (कास्टस) Castus' के अत्यन्त निकट है, जिसका अर्थ विशुद्ध है। 'कास्टा' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन् 1665 में ग्रेसियाडिओट (Graciadeorta) ने प्रजातीय समूहों के विभेद के लिए किया था। जाति व्यवस्था का प्रभाव भारत में रहने वाले अन्य धार्मिक समूहों, जैसे-मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं सिक्खों की सामाजिक व्यवस्था पर भी दिखाई पड़ता है। भारत में अनुमानत: तीन हजार से अधिक जातियाँ और उनकी अनेकानेक उपजातियाँ पायी जाती हैं। शास्त्र वर्णित सैद्धान्तिक आधार के अतिरिक्त जातियों की सामाजिक संरचना, प्रथा, परम्परा, रुढ़ियों, रीतियों तथा व्यवसायों पर आधारित है। फिर भी मुख्यत: जाति प्रथा जन्मगत भेद पर आधारित एक व्यवस्था है।

विभिन्न विद्वानों के अनुसार जाति की परिभाषा निम्नलिखित है -

(1) जे. एच. हट्टन के अनुसार- "जाति एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत एक समाज अनेक आत्मकेन्द्रित एवं एक-दूसरे से पूर्णत: पृथक् इकाइयों (जातियों) में विभाजित रहता है, इन इकाइयों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध ऊँच-नीच के आधार पर सांस्कारिक रूप से निर्धारित होते हैं।"

(2) सर हर्बर्ट रिजले के अनुसार-"जाति परिवारों या कई परिवारों के समूहों का संकलन है, जिसको एक सामान्य नाम दिया गया है, जो किसी काल्पनिक पुरुष या देवता से अपनी उत्पत्ति मानता है तथा पैतृक व्यवसाय को स्वीकार करता है और जो लोग विचार कर सकते हैं, उन लोगों के लिए एक सजातीय समूह के रूप में स्पष्ट होता है।"

(3) मर्टिण्डेल और मोनैक्सी के अनुसार-जाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, जिनके कर्तव्यों तथा विशेषधिकारों का जादू अथवा धर्म दोनों से समर्पित तथा स्वीकृत भाग जन्म से निश्चित होता है।

(4) केतकर के अनुसार," जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है, जिसकी सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक सीमित है जो सदस्यों से जन्म लेते हैं और इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होते हैं। ये सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिये जाते हैं।

जाति प्रथा की विशेषताएँ- एन. के. दत्ता ने जाति प्रथा की निम्नलिखित संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख किया है-

(1) एक जाति के सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते।

(2) विभिन्न जातियों के बीच खानपान सम्बन्धी प्रतिबन्ध पाये जाते हैं।

(3) अधिकतर जातियों के व्यवसाय निश्चित होते हैं।

(4) जातियों में ऊँच-नीच का संस्तरण पाया जाता है।

(5) जन्म ही मनुष्य की जाति को निर्धारित करता है। जाति के नियमों को तोड़ने पर ही जाति से बहिष्कृत किया जाता है। अन्यथा एक जाति से दूसरी जाति में जाना सम्भव नहीं है।

(6) सम्पूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित है।

जाति बनाम वर्ग:

जाति क्या है : जाति सामाजिक स्तरीकरण का एक तरीका है, और यह एक विशेषता है जो एक व्यक्ति द्वारा उसके जन्म के समय उदारतापूर्वक विरासत में मिली है। जाति एक निर्धारित स्थिति है। इसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आजकल कुछ लोग नाम बदलकर और ऊँची जाति के लोगों के साथ अपनी जाति बदलने की कोशिश करते हैं। जाति शारीरिक बनावट से संबंधित नहीं है और इसलिए कोई भी व्यक्ति की जाति को देखकर उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकता है। आमतौर पर, जाति की पहचान किसी के उपनाम को देखकर की जाती है। सामाजिक स्तरीकरण

का यह तरीका प्राचीन काल में पाया गया था और उन दिनों में इस प्रणाली का उपयोग विभिन्न समूहों के लोगों को उनकी विभिन्न नौकरियों के साथ करने के लिए किया गया था। आमतौर पर, राजा और भूमि के मालिक उच्च जातियों के होते थे और उन्हें निचली जाति के लोगों पर अधिकार प्राप्त होता था। निम्न जाति के लोग कुम्हार, बुनकर, बढ़ई, आदि थे। आधुनिक समय में, हालांकि, प्रचलित जाति व्यवस्था में एक व्यक्ति के कब्जे के लिए बहुत कुछ नहीं है, और यह जन्म के समय विरासत में मिली एक व्यक्ति की विशेषता है। कई आधुनिक समाजों द्वारा जाति की अनदेखी की जा रही है और यह वर्तमान दुनिया में एक प्रमुख मुद्दा नहीं है।

क्लास क्या है:

सामाजिक वर्ग मुख्य रूप से लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अनुसार परिभाषित किया गया है। यहां, एक विशेष समाज के सदस्यों को सामाजिक पदानुक्रम के एक समूह के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। लोगों को उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के रूप में वर्गीकृत करना सबसे आम सामाजिक विभाजन है। समाज के सबसे धनी लोगों को उच्च वर्ग में रखा गया है। उच्च वर्ग के सदस्य उस वर्ग के लिए जन्मजात होते हैं, या कोई व्यक्ति उच्च वर्ग का सदस्य बन सकता है, भाग्य से। मध्यवर्गीय सदस्य वे हैं जिनके पास जीवित रहने के लिए आवश्यक राशि से थोड़ा अधिक धन है। समाज के अधिकांश लोग मध्यम वर्ग के हैं। दूसरी ओर, वे लोग जो कम से कम अंत नहीं कर पाते हैं, उन्हें निम्न वर्ग के सदस्यों के रूप में जाना जाता है। उनके पास जीवित रहने के लिए शायद ही पैसा है, और अक्सर बुनियादी आवश्यकताएं नहीं होती हैं। वे मजदूरों की नौकरियों में संलग्न होते हैं और केवल थोड़ी राशि कमाते हैं।

फिर भी, किसी व्यक्ति के वर्ग की स्थिति ने उसके जीवन में बहुत कुछ तय करने के लिए कहा। उदाहरण के लिए, उच्च वर्ग के लोगों के पास एक अच्छी शिक्षा हो सकती है, और उनके पास सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं तक भी उच्च पहुंच है। मध्यम वर्ग के लोगों की भी शिक्षा तक पहुंच है, लेकिन कभी-कभी उच्च लागत के कारण वे उच्च अध्ययन नहीं कर पाते हैं। निम्न-वर्ग के सदस्य कई चीजों से वंचित हैं, और कभी-कभी उनके पास शिक्षा तक पहुंच नहीं होती है। कुपोषण और सैनिटरी सुविधाओं की कमी और अज्ञानता के कारण उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि, हमेशा वर्ग की गतिशीलता होती है, और कोई भी व्यक्ति सामाजिक सीढ़ी के साथ ऊपर या नीचे जा सकता है। सामाजिक वर्ग कभी-कभी उकेरा जाता है, लेकिन यह ज्यादातर एक प्राप्त स्थिति है।

वर्ण तथा जाति:

हिंदू शास्त्रों के मत से जाति का मूल वर्णों में है। ऋग्वेद के 10 वें मंडल के पुरुषसूक्त के अनुसार ब्रह्मा का मुख ब्राह्मण, भुजाओं राजन्य (क्षत्रिय), जंघाओं वैश्य और पैरों शूद्र है। इस प्रकार मानव सृष्टि के प्रारंभ से ही चार वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। मनु आदि स्मृतिकारों ने प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति के सामाजिक और व्यक्तिगत कार्य, जीविका, शिक्षा दीक्षा, संस्कार और कर्तव्य तथा अधिकार संबंधी नियमों का विधान किया है। वर्णव्यवस्था में पुरोहित तथा अध्यापक वर्ग ब्राह्मण, शासक तथा सैनिक वर्ग राजन्य या क्षत्रिय, उत्पादक वर्ग वैश्य और शिल्पी एवं सेवक वर्ग शूद्रवर्ण हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि वैदिक आर्य समाज में तीन अस्पष्ट वर्ग थे। वास्तव में उस समय गौरवर्ण आर्य और श्यामवर्ण दास दो ही वर्ण थे जिन्हें एक ओर तो त्वचा का गौर और श्याम रंगभेद और दूसरी ओर विजेता और विजित का सत्तागत भेद और सांस्कृतिक भिन्नत्व एक दूसरे से पृथक् करता था। दासवर्ण बाद में शूद्रवर्ण हुआ और इसके साथ आर्यों के तीनों वर्गों ने मिलकर चातुर्वर्ण्य की सृष्टि की। जो जनजातियाँ, आर्य समाज से दूर रहीं उन्हें वर्णव्यवस्था में सम्मिलित नहीं किया गया। वर्णों में अंतर्विवाह का निषेध नहीं था और इस निषेध का न होना मूल आर्य समाज की परंपरा के अनुकूल था। केवल प्रतिलोम विवाह निषिद्ध थे। हिंदू धर्मशास्त्रों ने जातियों को नहीं, वर्णों को मान्यता दी है, यद्यपि स्वयं वेदों और स्मृतियों में अनेक जातियों का उल्लेख है जो वस्तुत: या तो अनार्य सभ्य जातियाँ हैं, या सभ्य समाज के संपर्क में आए अनार्य जन जातीय समूह हैं। जातिभेद का मूल (आरंभ) आर्यों में नहीं था। अत: जाति शास्त्रकारों द्वारा आपेक्षित रही है। आर्यमूल की उच्च जातियों में जातीय पंचायतों की अनुपस्थिति भी मूल आर्य समाज की जातिविहीन स्थिति की द्योतक है। परंतु हिंदू समाज में जातियों का मौलिक महत्व है और ये वर्णों से भिन्न हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जिनका वर्ण अनिश्चित और विवादास्पद है, जबकि सभी की जाति निश्चित और संदेह से परे है। वर्णों का सामाजिक मर्यादाक्रम असंदिग्ध और निश्चित है, जबकि जातियों का एक सीमा तक निश्चित होते हुए भी संदिग्ध और विवादास्पद रहता है। सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से जातियाँ स्थानीय तथा क्षेत्रीय और वर्ण सार्वदेशिक हैं अर्थात् जातियों में स्थानभेद से मर्यादाभेद हो जाता है। वर्णव्यवस्था में दो वर्णों के बीच विवाहसंबंध निषिद्ध नहीं है, केवल प्रतिलोम विवाह निषिद्ध है। जातिव्यवस्था में अंतर्जातीय विवाह सर्वथा निषिद्ध है। वर्ण समाज की क्रियात्मक वास्तविक इकाइयाँ नहीं हैं और जातितत्व जीवन के प्राय: सभी अंगों में समाविष्ट है। जाति के कारण वर्णों की गतिशीलता अवरुद्ध है और व्यक्ति के लिये वर्णांतर उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार जात्यंतर,

क्योंकि व्यक्ति मूलत: जाति से संबद्ध है और जाति के साथ ही उसका वर्णांतर हो सकता है। वर्णविभाजन में किसी जाति का स्थान उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक है। अंत्यज या अछूत जातियाँ यद्यपि हिंदू समाज क अंग हैं तथापि वर्णव्यवस्था में उनका कोई स्थान नहीं है। दक्षिण भारत में क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण की मान्य जातियाँ हैं ही नहीं। जिन जातियों ने इन वर्णों के पेशे अपना लिए हैं उन्हें आज भी शूद्र ही माना जाता है, यद्यपि वे सब क्षत्रिय या वैश्य होने का दावा करती हैं। केरल के राजवंशों तक की यही स्थिति थी। हिंदुओं के कर्मवाद ने जातिव्यवस्था को धार्मिक आश्रय प्रदान किया और यह आश्रय जाति को दृढ़ तथा स्थायी बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जाति के साथ सामान्य हिंदू का तादात्म्य धर्म की उपेक्षा और अवज्ञा कर सकता है किंतु जातीय बंधनों, प्रथाओं और आचार व्यवहार का उल्लंघन उसके लिये कठिन है। वास्तव में अधिकांश लोगों की धारणा में धर्म और जाति का भेद है ही नहीं।

----------*******The End*******----------